"टाड़ा में संशोदन"

4691. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में कौन से संशोधन किये गये हैं और ये संशोधन कब से प्रभावी होंगे; और

(ख) क्या यह सच है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अन्तर्गत जेलों में डाले जाने वाले दोषी व्यक्तियों को इस संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा, यदि यह सच है तो यह दोषी व्यक्तियो के लिये कैसे लाभदायक है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मई, 1993 में टाडा को दो साल के लिये आगे बढ़ाते समय मूल अधिनियम में बन्द कमरे में सुनवाई (धारा 16), रिमांड उपबन्ध (धारा 20), अपराध को संज्ञान में लेने सम्बन्धी प्रावधानों (धारा 20 क) के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये गये थे, सह अभियुक्त/अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की धारा 3 के अधीन अपराध की प्रकल्पना सम्बन्धी उपबन्ध को निरस्त कर दिया गया था। उक्त संशोधन तुरन्त लागू हो गये थे। अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को संशोधन से लाभ होगा क्योंकि टाडा मामलों के अन्तर्गत अन्वेषण का कार्य तभी शुरू होगा जब पुलिस अधीक्षक इसे प्राधिकृत करेगा और केवल पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति के बाद ही मुकदमा शुरू किया जा सकेगा। अन्वेषण के दौरान रिमांड देने में न्यायिक बुद्धि का प्रयोग जरूरी होगा और अन्वेषण में हुई प्रगति को ध्यान में रखना होगा।

विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठन

4692. श्री रामदेव भंडारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले में उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें विभिन्न संस्थाओं से 5 लाख रूपये से अधिक रूपयों की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) उन संस्थाओं के नाम तथा पते क्या-क्या हैं जिन्होंने इन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई है तथा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सहायता का राशि-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 91]

(ग) जी नही, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Crimes in Sangam Vihar

4693. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Governments attention has been drawn to a news item captioned 'Reign of terror in Sangam Vihar' which appeared in The Hindustan Times on the 15th February, 1994;

(b) if so, what action Government have taken/propose to take in this regard;

(c) whether it is also a fact that the rate/number of crimes has increased in Sangam Vihar; and

(d) if so, the details of crimes committed from December, 1993 to February, 1994 and steps taken to curb the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Police has reported that the above news item is not factually correct. After the publication of the above news item, meetings were held in the locality. As a precautionary measure, the Police has increased Motor Cycle patrolling in the area. Beat and Division officers have been directed to be more vigilant.

(c) Yes, Sir.

(d) The details of the crimes reported in Sangam Vihar and their disposal during the period from 1st December, 1993 to 28th February, 1994 and its corresponding period from 1st December, 1992 to 28th February, 1993 is given in the annexure [See Appendix 170, Annexure No. 92].

Disposal of arms seized from Militants

4694. SHRI O. P. KOHLI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of AK-47 rifles and rocket launchers seized from militants/terrorists etc. lying in Malkhanas all over the country State-wise and since when;

(b) how do Government propose to dispose of these weapons; and

(c) what are the details in respect of small arms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) and (c) The information is being obtained and will be laid on the Table of the House.

(b) This Ministry has issued instructions to the State Govts./Union Territory Administrations that in cases of fire-arms seized/recovered from extremists/terrorists, which are not required to be produced as exhibits before a Court of Law, in connection with any case that may have been registered involving or relating to the said arms, the concerned State authorities should approach the Competent Court seeking its permission for their utilisation. State Govts. have also been advised that details of all obsolete/ obsolescent and unserviceable police fire-arms and their components shall be intimated to the Army Headquarter for obtaining their disposal instructions.

विशेष सशस्त्र बल वाहिनियों पर किए गए व्यय का अदा किया जाना ।

4695. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्देशों पर उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश तथा अन्य राज्यों को विशेष सशस्त्र बल की कितनी वाहिनियां भेजी गई तथा वे किन किन स्थानों पर भेजी गई;

(ख) क्या यह सच है कि इन वाहिनियों पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकारें मध्य प्रदेश शासन को अदा करती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन राज्यों में मध्य प्रदेश शासन की वाहिनियों तैनात की गई थीं उन राज्यों ने 33,71,73,705 रुपये के व्यय का भुगतान मध्य प्रदेश शासन को नही किया है;

(घ) सम्बन्धित राज्यों से उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान कराने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों से बकाया राशि का भुगतान मध्य प्रदेश शासन को कब तक करा देंगी?